न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केशकाल जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

प्र.क्रं. / 202602200400003 / अ–62 / 2025–26

अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग उपसंभाग कांकेर(छ0ग0) –आवेदक
विरूद्ध
छत्तीसगढ़ शासन

आदेश पारित दिनांक 13 / 02 / 2026

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग कांकेर (छ.ग.) द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 64 / रा.रा. / लो.नि.वि / .2026 केशकाल दिनांक 02.02.2026 द्वारा लेख किया गया है कि नगर पंचायत केशकाल अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं 30 (पुराना क्रं 43) निर्माण कार्य जारी है मार्ग के किनारे खड़े 11 विभिन्न प्रजाति के गैर इमारती व फलदार वृक्ष मार्ग निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने से लोक हित में हटाया जाना आवश्यक होना लेख करते हुए उक्त वृक्षों को हटाने की अनुमति मांग की गई है।

प्रकरण में तहसीलदार केशकाल, का पृथक एवं राजस्व निरीक्षक केशकाल, पटवारी ह. नं. 13सूरडोंगर, पटवारी हल्का नं. 17केशकाल , बीट गार्ड केशकाल, एवं उपयंत्री रा.रा.मार्ग केशकाल का संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। सत्यापन प्रतिवेदन अनुसार नगर पंचायत केशकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं.30 के किनारे केशकाल की शासकीय भूमि खसरा नं. 24 पर स्थित 01 नग आम, 04 नग नीम, 01बाटल पॉम, सूरडोंगर में एनएच के किनारे स्थित शासकीय भूमि खसरा नं 11 में 01 नग बरगद, 01नग पलाश, 1नग बाटलपॉम, खसरा नं. 13में 01नग आम एवं 01नग बरगद सहित कुल 11 वृक्ष खड़े हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं030 उन्नयन / चौड़ीकरण निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करने से उक्त वृक्षो को लोकहित में हटाने हेतु प्रतिवेदित की गई है।

राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर द्वारा वृक्ष कटाई नियम 2022 हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक–एफ 4–34 / सात–1 / 2021 छ.ग. राजपत्र में दिनांक 11फरवरी 2022 को प्रकाशन किया गया है। जिसमें छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 अंतर्गत शासकीय वनो से लगे हुए ग्रामों में इमारती वृक्षों को गिराने तथा हटाने विनियमित करने के संबंध में नियम बनाये गये हैं तथा उक्त नियम छ0ग0राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 11 फरवरी 2022 से लागू है, के नियम 3 (तीन) नियम 4 , 5 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया गया है। नियमानुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम 10 वृक्षों के कटाई हेतु अनुमति दिए जाने का प्रावधान है। किंतु प्रश्नाधीन वृक्षों का विदोहन लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं–30 के उन्नयन / चौड़ीकरण निर्माण कार्य हेतु किया जा रहा है।

तहसीलदार तहसीलदार,केशकाल के प्रतिवेदन एंव राजस्व निरीक्षक केशकाल, उप अभियंता रा.रा. मार्ग केशकाल द्वारा संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन व वृक्षों की सूची प्रश्नाधीन भूमि

खसरा नं0 का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-

1. ग्राम, सूरडोंगर में खसरा नं. 11 पर स्थित 03 वृक्षों एवं ग्राम केशकाल में खसरा नं. 24 पर स्थित 06 वृक्षों एवं खसरा नं 13 केशकाल में स्थित 01 वृक्ष तथा ग्राम बोरगांव स्थित खसरा नं 13 पर स्थित 01 वृक्ष का स्थल निरीक्षण(तहसीलदार केशकाल, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, बीटगार्ड, एवं उपयंत्री द्वारा) किया गया है।
2. प्रश्नाधीन भूमि नगर पंचायत क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की सीमा अंतर्गत शासकीय भूमि पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.30 के उन्नयन/चौड़ीकरण निर्माण कार्य की आवश्यकता को देखते हुए निम्नांकित वृक्षों की कटाई किया जाना आवश्यक एवं उचित है।

स्थल निरीक्षण से प्राप्त तथ्य निम्नानुसार है:-

अ. क्र.	वृक्षों की प्रजाति	छाता गोलाई	हालात मी. या जलाऊ	खसरा नं.	भूमिस्वामी का नाम	ग्राम का नाम
1	बरगद	3.50	जलाऊ	11	शासकीय	सूरडोंगर
2	पलास	1.70	जलाऊ	11	शासकीय	सूरडोंगर
3	बाटल पॉम	1.70	जलाऊ	11	शासकीय	सूरडोंगर
4	नीम	1.00	जलाऊ	24	शासकीय	केशकाल
5	नीम	1.70	जलाऊ	24	शासकीय	केशकाल
6	नीम	1.75	जलाऊ	24	शासकीय	केशकाल
7	आम	1.25	जलाऊ	24	शासकीय	केशकाल
8	बाटल पॉम	1.45	जलाऊ	24	शासकीय	केशकाल
9	नीम	2.70	जलाऊ	24	शासकीय	केशकाल
10	बरगद	6.20	जलाऊ	13	शासकीय	केशकाल
11	बोरगांव	1.60	जलाऊ	13	शासकीय	बोरगांव

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूं कि नगर पंचायत केशकाल अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र-30 बोरगांव एव केशकाल मार्ग के चौड़ीकरण व उन्नयन कार्य हेतु शासकीय भूमि पर खड़े विभिन्न प्रजाति के 11 वृक्षों की कटाई हेतु उपरोक्त तालिका में उल्लेखित है, को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधो का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः छ0ग0 वृक्ष कटाई नियम 2022 के नियम 7 (4) के तहत कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग कोण्डागांव/ वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग संभाग कोण्डागांव द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षरण किया जाएगा।

उपरोक्त आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं 30 के चौड़ीकरण व उन्नयन कार्य हेतु नगर केशकाल एवं बोरगांव के उक्त सूची में उल्लेखित विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की कटाई करने की अनुमति प्रदान की जाती है। काटे गये वृक्षों को वन विभाग को सुपुर्द किया जावे।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्रं.9 सन्1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग केशकाल
जिला–कोण्डागांव (छ0ग0)

पृ0क्रमांक / Q /अ0वि0अ0 / रीडर / 2026 केशकाल दिनांक 13 / 02 / 2026

प्रतिलिपिः–

1– कलेक्टर, जिला–कोण्डागांव की ओर सादर सूचनार्थ।

2– वनमण्डलाधिकारी ,वन मण्डल केशकाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं.30 उप संभाग कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4– तहसीलदार , तहसील केशकाल को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग केशकाल
जिला–कोण्डागांव (छ0ग0)